## न्यायालय जिला कलक्टर, बारां ( राजस्थान )

**पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता** आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 19/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला–बारां (राज0) (प्रार्थी)

बनाम

1. खेमराज पुत्र रतनलाल, जाति माली
2. छगनलाल पुत्र रतनलाल, जाति माली
3. सुगना बाई पुत्री रतनलाल, जाति माली
4. लीलाबाई पुत्री रतनलाल, जाति माली
5. कैलाश बाई बेवा रतनलाल, जाति माली, निवासीगण मोतीपुरा तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0)
6. गोबरीलाल पुत्र कालूलाल, जाति मेहर (मृतक)

6/1 बद्रीबाई पत्नि स्व. गोबरीलाल, जाति मेहर
6/2 संजय कुमार पुत्र स्व. गोबरीलाल, जाति मेहर
6/3 भैरूलाल पुत्र स्व. गोबरीलाल, जाति मेहर
6/4 मूर्तिबाई पुत्री गोबरीलाल, जाति मेहर
6/5 ममताबाई पुत्री स्व. गोबरीलाल, जाति मेहर निवासीगण मियाडा, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)

(अप्रार्थीगण)

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज0)

**रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956**

उपस्थिति :– 1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2. श्री असलम भारती अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 1 ता 5)
3. श्री सुरेन्द्र मीणा अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 6/1 ता 6/5)

**आदेश दिनांक– 29.03.2023**

जिला कलक्टर बारां (राज0)

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम भगवानपुरा तहसील मांगरोल में जमाबंदी सम्वत् 2070–73 आराजी खसरा नंबर 673 रकबा 0.76 है. अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 के संयुक्त गैर खातदारी एवं खसरा नंबर 673/964 रकबा 0.40 है, अप्रार्थी क्रम 6 के गैर खातेदारी में दर्ज है। खसरा नंबर 673 कुल रकबा 1.16 है. मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2044–63 ग्राम भगवानपुरा तहसील मांगरोल के साबिक खसरा नंबर 433 मि. रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा से कायम हुआ है। मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2014–23 के अनुसार ग्राम भगवानपुरा के साबिक खसरा नंबर 433 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा किस्म गै0मु0 तलाई दर्ज रिकार्ड है। दौराने सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने आराजी साबिक खसरा नंबर 433 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा किस्म गै. मु. तलाई के हाल खसरा नंबर 673 रकबा 1.16 है. बारानी द्वितीय कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से खेमराज, छगनलाल, पुत्र रतनलाल, सुगनाबाई, लीलाबाई पुत्रीयां रतनलाल, कैलाशबाई बेवा रतनलाल जातिगण माली निवासीगण मोतीपुरा एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.04.10 11:41:45 IST
Reason: SelfAttested

गोबरीलाल पुत्र कालूलाल, जाति मेहर निवासी मियाडा तहसील मांगरोल के गैर खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2070–73 अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 के गैर खातेदारी में दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत गै0मु0 तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत गै0मु0 तलाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 5 की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश हुआ कि अप्रार्थीगण के संयुक्त खाते की आराजी खसरा नंबर 673 रकबा 0.76 है. किस्म बारानी द्वितीय वाके माल भगवानपुरा तहसील मांगरोल में अवस्थित है, जो वादीगण को विरासत में प्राप्त हुई है, उक्त आराजी प्रतिवादीगण के पिता व पति रतनलाल ने लगभग 40–50 वर्ष पूर्व झाड खेजडी काटकर हाक जोतकर काबिल काश्त बनाई है ओर जबसे ही बिना किसी बाधा के प्रतिवादीगण काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी में कभी भी तलाई नही नही है उक्त आराजी बिलकुल समतल व कृषि योग्य है व दूर दूर तक भी आराजी के आस पास कोई खाल, नाला, तलाई नही है। उक्त आराजी बिलकुल समतल व कृषि योग्य है। वादी द्वारा गलत तथ्यो को आधार पर न्यायालय में रेफरेंस प्रस्तुत किया है, जो खारिज करने योग्य है। उक्त आराजी प्रतिवादीगण के पिता व पति रतनलाल को दिनांक 03.09.1998 को आवंटित हुई थी, जो वैध एवं प्रभावी है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बननाम राजस्थान सरकार का आदेश दिनांक 02.08.2004 उक्त प्रकरण पर लागू नही होता है, ओर उक्त आराजी याचिका के आदेश की भूमि वर्गीकरण की परिभाषा में नही है। प्रतिवादीगण गरीब किसान है उनके पास उक्त भूमि के अलावा कोई भूमि नही है। उक्त भूमि से ही अपने परिवार का पालन पोषण करते है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

3– अप्रार्थी क्रम 6 के वारिसान जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए परंतु जवाब हेतु पर्याप्त समय दिये जाने पर भी उनकी ओर से जवाब पेश नहीं होने पर अप्रार्थी क्रम 6/1 ता 6/5 का जवाब बंद किया जाकर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.04.10 11:41:45 IST
Reason: SelfAttested

4– दौराने बहस पेरोकार सरकार व अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 के अभिभाषक उपस्थित हुये तथा अप्रार्थी क्रम 6/1 ता 6/5 के अभिभाषक एवं अप्रार्थी क्रम 6/1 ता 6/5 स्वंय भी अनुपस्थित रहे। इस पर हमने बहस पेरोकार सरकार व अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 की सुनकर प्रकरण क़ा गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

5– बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम भगवानपुरा आराजी खसरा नंबर 673 रकबा 1.16 है. मुताबिक मिलान

क्षेत्रफल संवत 2044–63 ग्राम भगवानपुरा तहसील मांगरोल के साबिक खसरा नंबर 433 मि. रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई से कायम हुए हैं। मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2014–23 के अनुसार ग्राम भगवानपुरा में साबिक खसरा नं. 433 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा किस्म गै0मु0 तलाई दर्ज रिकार्ड है। दौराने सेटलमेन्ट कार्य बन्दोबस्त कर्मचारियों ने अवैधानिक रूप से अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 के गैर खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2070–73 अप्रार्थीगण के गैर खातेदारी में दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत गै0मु0 तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत गै0मु0 तलाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

6– दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 5 ने पेरोकार सरकार के उक्त कथन का खण्डन करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी वर्तमान में काश्त योग्य भूमि है। मौके पर कोई तलाई नहीं है तथा ऐसे कोई निशानात भी नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि उक्त भूमि तलाई की है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी के मालिक स्वामी है तथा बहैसियत गैर खातेदार उक्त आराजी पर लम्बे समय से काबिज काश्त है। प्रस्तुत प्रकरण में मौके की रिपोर्ट तथा किस्म बाबत् जांच नही की गई, एवं विधि सम्मत प्रक्रिया नही अपनाई गई। अतः रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

7– हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि ग्राम भगवानपुरा तहसील मांगरोल की जमाबंदी सम्वत् 2070–73 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 673 रकबा 0.76 है., किस्म बारानी द्वितीय अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 एवं खसरा नंबर 673/964 रकबा 0.40 है. गोबरीलाल पुत्र कालूलाल जाति मेहर निवासी मियाडा के खाते दर्ज है। उक्त आराजी खसरा नंबर 673, 673/964 कुल रकबा 1.16 है. मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2044–63 आराजी साबिक खसरा नंबर 433 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा से कायम हुए हैं। साबिक खसरा नंबर 433 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2014–23 किस्म गै0मु0 तलाई दर्ज रिकार्ड है। बन्दोबस्त संवत 2044–63 में ग्राम मांगरोल की उक्त आराजी के हाल खसरा नंबर 673, 673/964 कुल रकबा 1.16 है. बारानी द्वितीय कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से खेमराज, छगनलाल, पुत्र रतनलाल, सुगनाबाई, लीलाबाई पुत्रीयां रतनलाल, कैलाशबाई बेवा रतनलाल जातिगण माली निवासीगण मोतीपुरा एवं गोबरीलाल पुत्र कालूलाल, जाति मेहर निवासी मियाडा तहसील मांगरोल के खातेदारी में दर्ज कर दी है। इस प्रकार जिस वक्त भूमि आवंटित/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै0मु0 तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। तथा अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 के पिता व पति रतनलाल जाति माली निवासी मोतीपुरा व गोबरीलाल पुत्र कालूलाल जाति मेहर निवासी मियाडा को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्ध हुआ है। तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरुद्ध मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)
जिला कलक्टर बारां (राज०)
Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.04.10 11:41:45 IST
Reason: SelfAttested

के लिये रेफरेंन्स माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

8— परिणामस्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम भगवानपुरा में गैर खातेदारी में दर्ज आराजी खसरा नंबर 673 रकबा 0.76 है. तथा खसरा नंबर 673/964 रकबा 0.40 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.16 है. किस्म बारानी द्वितीय को जो मूल रूप से सेटलमेन्ट पूर्व साबिक खसरा नंबर 433 मि. रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा किस्म गै0मु0 तलाई से बना है, जो अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 के पिता/पति रतनलाल जाति माली निवासी मोतीपुरा एवं गोबरीलाल पुत्र कालूलाल, जाति मेहर निवासी मियाडा को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

9— तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर, बारां

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.04.10 11:41:45 IST
Reason: SelfAttested